8/6/23

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलांट एवं उभयपक्षकारान अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दिनांक 06.03.2018 के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 के सम्मन नोटिस कई अवसर दिये जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किये गये। इस बाबत दिनांक 21.04.2022 को अन्तिम अवसर दिया गया एवं दिनांक 13.07.2022 को न्यायहित में एक अवसर ओर दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट की ओर से न तो कोई ठोस कारण प्रस्तुत किये जा रहे है ओर न ही सम्मन नोटिस प्रस्तुत किये जा रहे है। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा दिनांक 15.09.2016 को एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त करने के उपरान्त केवल एक ही बार दिनांक 21.11.2017 को रेस्पोडेन्ट्स की तलबी हेतु सम्मन नोटिस प्रस्तुत किये। स्थगन आदेश आदिनांक प्रभावी रहा है। अधिवक्ता अपीलांट की अपील चलाने में कोई रूचि नही होना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के प्रावधानों की रोशनी में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 समस्त रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध यह अपील निरस्त की जाती है।

पत्रावली में आज बार–बार आवाज लगवाने के उपरान्त भी अपीलांट असालतन अथवा वकालतन उपस्थित नहीं हुये।

उपर्युक्त समस्त कारणों से अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

8/6/2023

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)